भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1157

उत्तर देने की तारीख 8.12.2021

उच्चतर शिक्षा की पहुंच

1157 श्री नीरज डांगी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संविधान (103 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उच्च शिक्षा संस्थानों अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुल्क में वृद्धि इसके विपरीत है;

(ग) क्या उच्च शिक्षा संस्थानों अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों मं शुल्क में वृद्धि गरीब लोगों के लिए शिक्षा को पहुँच से बाहर कर देगी; और

(घ) देश में गरीब लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु खर्च की गई धनराशि सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा. सुभाष सरकार)

(क): जी हां।

(ख) से (घ): सरकार उच्चतर शिक्षा को गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग, गरीब वित्तीय पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से किसी को भी उच्चतर शिक्षा तक पहुंच से केवल इस कारण से वंचित न किया जाए क्योंकि वह गरीब है, निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:

1. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस)
2. जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर के लिए एसएसएस)।

3. केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

उपरोक्त के अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) द्वारा शिक्षण शुल्क माफ किया जाता है, जिसके तहत जिन छात्रों की परिवारिक आय एक निर्दिष्ट स्तर से कम है, उन्हें शुल्क से पूर्ण/आंशिक छूट मिलती है।

***